



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042022-235109
CG-DL-E-13042022-235109

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1691]
No. 1691]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 12, 2022/चैत्र 22, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 12, 2022/CHAITRA 22, 1944

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2022

का.आ. 1777(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के चन्दौली जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, अपर जिला अधिकारी (वित्त/राजस्व), चन्दौली, उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जायेगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित होंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता

को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जाँच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखा चित्र और अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के चन्दौली जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिला: चन्दौली

क्र० सं०	तहसील	ग्राम की सूची	गाटा सं०	अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हे० में)
1	चन्दौली	अनुरुद्धपुर	145	0.0770
2			144	0.0160
3			143	0.0024
4			142	0.0472
5			141	0.0392
6			132	0.0048
7			110	0.0352
8			128	0.0350
9			129	0.0120
10			130	0.0360
11	चन्दौली	विरैली	79	0.0060
12			80	0.0400
13			81	0.0030
14			82	0.1600
15	चन्दौली	बनौली खुर्द	359	0.0380
16			358	0.0016
17			344	0.0970
18	पं० दीन दयाल उपाध्याय नगर	डिग्धी	505	0.0112
19			504	0.0108
20			502	0.0120
21			497	0.0135
22			495	0.0372
23			496	0.0057
24			345	0.1112
25			344	0.0632
26			339	0.0336
27			338	0.0560
28			318	0.0520
29			316	0.0448
30			315	0.0080
31			506	0.0015

32			498	0.0015
33			383	0.0040
34			317	0.0040

[फा. सं. 2022/एलएमएल-II/12/2/ईसी/2299]

पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भू. एवं सु.)

MINISTRY OF RAILWAYS**(Railway Board)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th April, 2022

S.O. 1777(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Chandauli in the State of Uttar Pradesh hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority namely, Additional District Magistrate (Finance/Revenue), Chandauli, Uttar Pradesh in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry if any as the competent authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in district Chandauli in the State of Uttar Pradesh.

DISTRICT: CHANDAULI.

Sr. No.	Tahsil	Village	Gata no.	Acquired Area (in Ha.)
1	Chandauli	Anurudhpur	145	0.0770
2			144	0.0160
3			143	0.0024
4			142	0.0472
5			141	0.0392
6			132	0.0048
7			110	0.0352
8			128	0.0350
9			129	0.0120
10			130	0.0360
11	Chandauli	Viraili	79	0.0060
12			80	0.0400
13			81	0.0030
14			82	0.1600

15	Chandauli	Banauli Kurd	359	0.0380
16			358	0.0016
17			344	0.0970
18	Pandit Deen Dayal Upadhyay Nagar	Digghi	505	0.0112
19			504	0.0108
20			502	0.0120
21			497	0.0135
22			495	0.0372
23			496	0.0057
24			345	0.1112
25			344	0.0632
26			339	0.0336
27			338	0.0560
28			318	0.0520
29			316	0.0448
30			315	0.0080
31			506	0.0015
32			498	0.0015
33			383	0.0040
34			317	0.0040

[F.No. 2022/LML-II/12/2/EC/2299]
PANKAJ TYAGI, Executive Director (L&A)